नोटिस

अनु सचिव,उत्तराखण्ड शासन,गृह अनुभाग-2,देहरादून के पत्र संख्या 288/भा०स०/XX-2/15/02ए(03)2012 दिनांक 19.10.2015 एवं अवर सचिव,आई-II-डिविजन/आर्म्स अनुभाग,गृह मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या V-11026/64/2010-Arms, दिनांक 30.09.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.09.2015 द्वारा National Database on Arms Licence (NDAL) पोर्टल में अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2015 को विस्तारित करते हुए दिनांक 31.03.2016 नियत कर दी गई है। जनपद में ऐसे शस्त्र लाईसेन्स धारकों जिनके द्वारा आतिथि तक अपना सम्पूर्ण विवरण के साथ KYC फार्म सहित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यही नहीं उनके द्वारा अपना शस्त्र लाईसेन्स विगत 03 वर्षो से अधिक समय से नवीनीकृत भी नहीं करवाया गया है जो शस्त्र अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारकों की सूची जिला प्रशासन/पुलिस के सार्वजनिक सूचना पट्टों,तथा NIC अल्मोड़ा के साईड www.almora.nic.in में उपलब्ध है।

अतः ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.02.2016 के पूर्वान्हन तक अपना शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकृत/अनवीनीकृत की सूचना विधिवत भरे गये KYC फार्म सहित शस्त्र अनुभाग, जिला कार्यालय,अल्मोड़ा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। ताकि NADL की पोर्टल में उनकी सूचना अपलोड कर उन्हें UIN नम्बर जारी किया जा सकें। यह भी सूच्य है कि UIN नम्बर जारी नहीं होने पर ऐसे शस्त्र लाईसेन्स धारकों के लाईसेन्स गृह विभाग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं और भविष्य में ऐसे शस्त्र लाईसेन्स न तो नवीनीकृत किये जायेंगे और न ही ऐसे शस्त्र लाईसेन्स धारकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लाईसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति (NOC) की मांग करने पर उन्हें कोई आपत्ति (NOC) जारी की जायेगी।

कृपया सूचना जानें।

दिनांक 30.10.2015

(सविन बंसल),
जिला मजिस्ट्रेट,अल्मोड़ा

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव,गृह,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2. पुलिस अधीक्षक,अल्मोड़ा को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 16.09.2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट,जनपद अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना अधिकारी,अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त समाचार न्यूनतम शासकीय दरों में अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
5. जिला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी,अल्मोड़ा को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 16.09.2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सविन बंसल),
जिला मजिस्ट्रेट,अल्मोड़ा